रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 1971/श्रावण 20, 1893

No. 141] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 1971/SRAVANA 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August 1971

G.S.R. 1170.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act 1964 (37 of 194), the Central Government hereby appoints Shri M. A. Khan, as a director in the board of directors of the Food Corporation of Indian established under the said Act, in place of Shri Prithivi Singh Azad, and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification, for entry (10), the following entry shall be substituted, namely:—

"(10) Shri M. A. Khan."

[No. F.4-5/71-FCC.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1971

सा०का०नि० 1170.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के साथ पठित, उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पी० बी० सिंह आजाद के स्थान पर श्री एम० ए० खान को, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(10) श्री एम० ए० खान।"

[सं० 4-5/71-एफ० सी० सी०]

आर० बालासुब्रमण्यन,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971